



छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

(द्वितीय अपील क्रमांक-311/2005)

वादी : श्रीमती भगवती पत्नी चंदन सिंह, उम्र लगभग 57 वर्ष, जाति गोंड, निवासी ग्राम सारंगपाल, तहसील कांकेर, जिला कांकेर छ0ग0

प्रतिवादीगण बनाम

1ए चेदुराम (मृत्यु हो गई और हटा दी गई)
1बी ईश्वर, पुत्र देवसिंह, उम्र लगभग 30 वर्ष,
निवासी ग्राम सारंगपाल, तहसील कांकेर, जिला कांकेर, छ.ग.
2. जग्गूराम, पुत्र नवलू, जाति गोंड, उम्र लगभग 30 वर्ष,
3 नवलसिंह, पुत्र मुरहा, जाति गोंड, उम्र लगभग 45 वर्ष,
4 मंगल सिंह (मृत्यु हो गई और हटा दी गई)
5 घसिया राम (मृत्यु हो गई और हटा दिया गया)
6 बुधराम (मृत्यु हो गई और हटा दिया गया)
7 सुधू राम (मृत्यु हो गई और हटा दिया गया)
8(ए) श्रीमती. कोशिल्या बाई, तुलाराम की विधवा, जाति गोंड, उम्र करीब 20 साल, छत्तीसगढ़
न्यायालय का पता : तुलाराम, जाति गोंड, उम्र लगभग 20 वर्ष
8बी. विष्णु पिता तुलाराम, जाति गोंड, उम्र लगभग 20 वर्ष,
9 पिलाराम (मृत्यु हो गई और हटा दी गई)
10 सुकराम, पुत्र राम सिंह, जाति गोंड, उम्र लगभग 35 वर्ष,
सभी कृषक हैं तथ निवासी ग्राम सारंगपाल, तहसील कांकेर, जिला कांकेर (छ.ग.)
11 छत्तीसगढ़ राज्य, कलेक्टर कांकेर, जिला कांकेर, (छ.ग.) के माध्यम से

अपीलकर्ता/वादी के लिए : Mr. Shobhit Koshta, Advocate

संकल्प संख्या 1 (बी), 2, 3 के लिए, बी (ए), 8 (बी) और 10 : कोई उपस्थित नहीं

प्रतिवादी संख्या 11 के लिए अमीकस के लिए : सुश्री शिवाली दुबे, पी.एल.

: Mr. Ravi kr. Bhagat, Advocate



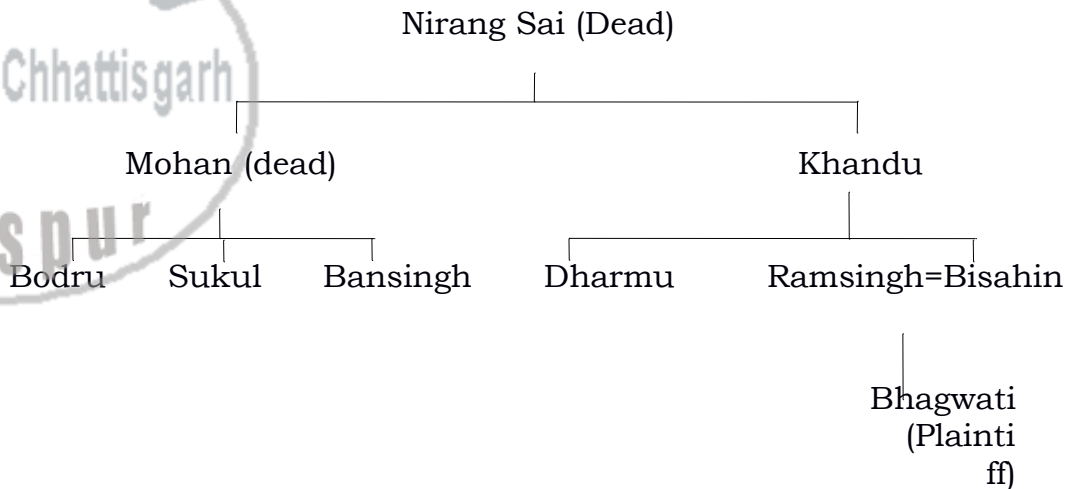
माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय के. अग्रवाल

बोर्ड पर निर्णय

09/12/2019

1. इस वादी की सी.पी.सी. की धारा 100 के अंतर्गत दूसरी अपील को निम्नलिखित महात्वपूर्ण विधि प्रश्न तैयार करके सुनवाई के लिए स्वीकार किया गया:
“क्या दोनों निचली अदालतें वादी के मुकदमे को यह कहते हुए खारिज करने में न्यायसंगत हैं कि वादी जाति से गोंड है और उसके पिता राय सिंह की मृत्यु के बाद, वह गोंड समुदाय में प्रचलित प्रथा के अनुसार दावे वाली संपत्ति की उत्तराधिकारी नहीं होगी?” (सुविधा के लिए, इसके बाद पक्षकारों को उनकी स्थिति और परीक्षण न्यायालय के समक्ष शिकायत में दी गई रैंकिंग के अनुसार संदर्भित किया जाएगा।)

2. निम्नलिखित वंशावली वृक्ष पक्षों के बीच संबंधों को प्रदर्शित करेगा:—



3. वाद वाली संपत्ति मूल रूप से धर्मू के पास थी। धर्मू की कोई संतान नहीं थी। वादी धर्मू के भाई रामसिंह की बेटी है। धर्मू की मृत्यु वर्ष 1950 में बिना संतान के हुई और उसके बाद उसकी संपत्ति रामसिंह को मिल गई। वादी का मामला यह है कि धर्मू और रामसिंह की मृत्यु के बाद वह धर्मू की एकमात्र उत्तराधिकारी होने के नाते रामसिंह की बेटी होने के नाते वाद वाली संपत्ति की उत्तराधिकारी होगी और प्रतिवादी जो उसके दादा के भाई के बेटे हैं, वाद वाली



संपत्ति के उत्तराधिकारी नहीं होंगे और वाद दायर करने का अवसर इसलिए आया क्योंकि प्रतिवादियों ने उसे वाद वाली संपत्ति से बेदखल कर दिया है।

4. प्रतिवादियों ने अपना लिखित बयान दायर किया और वाद के कथनों का खंडन करते हुए कहा कि वे मोहन के कानूनी उत्तराधिकारी हैं, जो खांडू का भाई था। खांडू के दो बेटे धर्मू और राम सिंह थे और वाद वाली संपत्ति धर्मू की थी जो उनके साथ रह रहा था, धर्मू निःसंतान थी और वे धर्म की संपत्ति के कब्जे में हैं और उस पर खेती कर रहे हैं। उन्होंने लिखित बयान के पैरा-5 में आगे दलील दी कि गोंड जाति में और प्रचलित रीति-रिवाजों के अनुसार, बेटी को पिता या चाचा की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं है।
5. ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य की सराहना करने के बाद, अपने फैसले और दिनांक 29.10.98 के डिक्री द्वारा, केवल इस आधार पर मुकदमा खारिज कर दिया कि वादी बेटी के अपने पिता या चाचा की संपत्ति के उत्तराधिकार के अधिकार के बारे में प्रथाओं को साबित करने में विफल रही है, जिसका वादी ने प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष विरोध किया था, लेकिन वह यह पाकर असफल रही कि जिस प्रथा के द्वारा बेटी अपने पिता या चाचा की संपत्ति के उत्तराधिकार की हकदार है, उसका तथ्य स्थापित नहीं हुआ है, जिसके कारण इस न्यायालय के समक्ष सीपीसी की धारा 100 के तहत यह दूसरी अपील दायर की गई है, जिसमें कानून का पर्याप्त प्रश्न तैयार किया गया है जिसे इस फैसले के शुरुआती पैराग्राफ में निर्धारित किया गया है।
6. अपीलकर्ता/वादी के विद्वान वकील श्री शोभित कोष्टा ने कहा कि वादी धरमू की भतीजी और रामसिंह की बेटी है और धरमू और उसके पिता रामसिंह की मृत्यु के बाद उसे मुकदमे की संपत्ति विरासत में मिली है और प्रतिवादियों का दावा है कि गोंड जाति में बेटियों को उनके पिता की संपत्ति नहीं मिलती और इसलिए उन्हें अपने पिता की संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा और यह प्रतिवादी ही थे जो यह दलील दे सकते थे कि गोंड जाति में बेटियों को उनके पिता की संपत्ति नहीं मिलती और वे कानून के अनुसार इसे साबित कर सकते



थे। उन्होंने आगे कहा कि निचली दोनों अदालतों ने वादी पर यह बोझ डालने में गलती की है कि चूंकि वह यह साबित नहीं कर सकी कि गोंड जाति में यह प्रथा है कि बेटियां अपने पिता की संपत्ति विरासत में पाती हैं और इस तरह, निचली दोनों अदालतों द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष पूरी तरह से गलत है। दोनों निचली अदालतों द्वारा वादी पर यह साबित करने का नकारात्मक भार डालने का दृष्टिकोण गलत है कि बेटियों को अपने पिता की संपत्ति विरासत में मिलती है, इसलिए दोनों निचली अदालतों के निर्णय और डिक्री को रद्द किया जाना चाहिए और वाद पर डिक्री की जानी चाहिए।

7. प्रतिवादियों की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।
8. श्री रवि कुमार भगत, विद्वान वकील, जो एमिकस के रूप में उपस्थित हुए, ने प्रस्तुत किया कि वादी की पुत्री होने के नाते उसे अपने पिता की संपत्ति विरासत में मिलेगी और कानून में ऐसी कोई धारणा नहीं है कि गोंड समुदाय में बेटियों को अपने पिता की संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा क्योंकि उसका कोई भाई नहीं है, ऐसे में दो निचली अदालतों द्वारा लिया गया दृष्टिकोण संवेदनशील हैं।
9. मैंने अपीलकर्ता/वादी के विद्वान वकील, न्याय मित्र के रूप में उपस्थित वकील को सुना है तथा ऊपर दिए गए तर्कों पर विचार किया है तथा अभिलेख का अत्यंत सावधानी से अध्ययन किया है।
10. इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि पक्षकार गोंड जाति के हैं और वे अपने स्वयं के प्रथागत कानून द्वारा शासित हैं। बादी ने वाद दायर किया कि वाद की संपत्ति उसके चाचा धरमू के पास थी और उनकी मृत्यु के बाद यह उसके पिता राम सिंह को विरासत में मिली और राम सिंह की मृत्यु के बाद वह संपत्ति उसकी पत्नी को विरासत में मिली, जिसमें प्रतिवादियों ने यह दलील दी कि बेटियों को अपने पिता की संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं मिलता।
11. विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या दोनों निचली अदालतें यह मानने में न्यायसंगत हैं कि चूंकि यह साबित नहीं हुआ है कि गोंड समुदाय में बेटियां वाद की



संपत्ति में कोई हिस्सा पाने की हकदार हैं या उन्हें अपने पिता की संपत्ति विरासत में मिलेगी, इसलिए वादी के पक्ष में डिक्री नहीं दी जा सकती है?

12. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (संक्षेप में '1956 का अधिनियम') की धारा 2(2) में निम्नानुसार प्रावधान है:

"2. अधिनियम का अनुप्रयोग, – (1) xxx xxx

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम में कोई बात संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (25) के अर्थ में किसी अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर तब तक लागू नहीं होगी जब तक कि केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अन्यथा निदेश न दे।"

13. अनुसूचित जनजातियों की सूची संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में निहित है, जिसे मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 20 के आधार पर 1.11.2000 से संशोधित किया गया है। जो यह प्रावधान करता है कि 1956, क्योंकि अनुसूचित जनजाति के प्रथागत कानून को विधानमंडल द्वारा संरक्षित किया गया है।

14. **मधु किशोर बनाम बिहार राज्य** 1 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 1956 के अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (2) पर गौर करने के बाद निम्नानुसार निर्णय दिया:

"4. ... इस प्रकार न तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, न ही भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, और न ही शरीयत कानून रीति-रिवाज से शासित आदिवासियों पर लागू होता है। और जैसा कि सर्वविदित है, रीति-रिवाज लोगों से लोगों और क्षेत्र से क्षेत्र में भिन्न होते हैं।"

15. इस प्रकार, यह माना जाता है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के प्रावधान पक्षकारों पर लागू नहीं होंगे, क्योंकि वे गोंड अनुसूचित जनजाति हैं, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 366(25) के अर्थ में अनुसूचित जनजाति हैं और केंद्र सरकार ने अन्यथा निर्देश देने और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों को उन पर लागू करने के लिए कोई अधिसूचना जारी नहीं की है।



16. अभिलेख पर यह स्वीकृत स्थिति है कि पक्षकार जाति से गोंड हैं और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 2(2) के आधार पर उनके लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।
17. इसके अलावा, विचारणीय प्रश्न यह होगा कि क्या वादी ने इस आधार पर दावा किया कि उसे अपने पिता की संपत्ति विरासत में मिली है और प्रतिवादियों ने दलील दी कि वे गोंड समुदाय से हैं जिसमें बेटियों को अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता। उपर्युक्त तथ्य के प्रकाश में, प्रथा को साबित करने का भार प्रतिवादियों पर होगा क्योंकि उन्होंने दलील दी है कि उनके समुदाय में बेटियों को अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता है?
18. इस संबंध में, **सरस्वती अम्मल बनाम जगदंबल 2** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर ध्यान दिया जा सकता है, जिसमें माननीय न्यायाधीशों ने स्पष्ट रूप से माना है कि किसी प्रथा को स्थापित करने वाले पक्ष का यह दायित्व है कि वह उस प्रथा को आरोपित करे और साबित करे जिस पर वह निर्भर करता है और प्रथा को सादृश्य द्वारा विस्तारित नहीं किया जा सकता है और इसे निगमनात्मक रूप से नहीं, बल्कि आगमनात्मक रूप से स्थापित किया जाना चाहिए। यह निम्नानुसार माना गया:—
- “11. ऐसे मामले में सही दृष्टिकोण जहाँ कोई पक्ष किसी प्रथा को साबित करना चाहता है, वह अब्दुल हुसैन खान बनाम सोमा डेरो, (ILR 45 Cal 450: PC) में प्रिवी काउंसिल के उनके लॉर्डशिप द्वारा इंगित किया गया है। वहाँ कहा गया था कि किसी प्रथा को स्थापित करने वाले पक्ष पर यह आरोप लगाने और साबित करने का दायित्व है कि वह जिस प्रथा पर निर्भर करता है, वह किस पर निर्भर है और यह किसी प्रथा का सिद्धांत या अन्य प्रथाओं से कटौती नहीं है जिसे निर्णय का नियम बनाया जा सकता है, बल्कि केवल संबंधित पक्षों पर लागू कोई भी प्रथा ही किसी विशेष मामले में निर्णय का नियम हो सकती है। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि



रीति-रिवाज को सादृश्य द्वारा विस्तारित नहीं किया जा सकता। इसे आगमनात्मक रूप से स्थापित किया जाना चाहिए, निगमनात्मक रूप से नहीं और इसे पूर्व-निर्धारित तरीकों से स्थापित नहीं किया जा सकता। सिद्धांत और रीति-रिवाज एक दूसरे के विरोधी हैं, रीति-रिवाज केवल सिद्धांत का विषय नहीं हो सकता बल्कि हमेशा तथ्य का विषय होना चाहिए और एक रीति-रिवाज को दूसरे से नहीं निकाला जा सकता। एक विशेष जिले में रहने वाले समुदाय ने एक विशेष रीति-रिवाज विकसित किया हो सकता है लेकिन इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि दूसरे जिले में रहने वाला समुदाय भी जरूरी तौर पर उसी रीति-रिवाज का पालन कर रहा है।

19. फिर से, **सलेख चंद (मृत) बनाम सत्य गुप्ता** 3 के मामले में, सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों ने माना कि जहां प्रथा को यह साबित करने के लिए स्थापित किया जाता है कि यह सामान्य कानून से भिन्न है, तो यह साबित करना होगा कि यह सार्वजनिक नीति के विरुद्ध नहीं है और यह प्राचीन, अपरिवर्तनीय, निरंतर, कुख्यात है, महाधिवेशन द्वारा स्पष्ट रूप से निषिद्ध नहीं है और नैतिकता या सार्वजनिक नीति के विरुद्ध नहीं है। यह इस प्रकार देखा गया:—

“21. मूक्का कोने बनाम अम्माकुट्टी अम्मल (एआईआर 1928 मैड 299 (एफबी)), में, यह माना गया कि जहां यह साबित करने के लिए प्रथा स्थापित की जाती है कि यह सामान्य कानून से भिन्न है, यह साबित करना होगा कि यह सार्वजनिक नीति के विपरीत नहीं है और यह प्राचीन, अपरिवर्तनीय, निरंतर, कुख्यात है, विधायिका द्वारा स्पष्ट रूप से निषिद्ध नहीं है और नैतिकता या सार्वजनिक नीति के विपरीत नहीं है।

22. किसी प्रथा को स्थापित करने वाले पक्ष का यह दायित्व है कि वह उस प्रथा को आरोपित करे और सिद्ध करे जिस पर वह निर्भर करता है। प्रथा को सादृश्य द्वारा विस्तारित नहीं किया जा सकता। इसे आगमनात्मक रूप से स्थापित किया जाना चाहिए न कि पूर्वानुमेय तरीकों से। प्रथा सिद्धांत का विषय



नहीं हो सकती बल्कि हमेशा तथ्य का विषय होनी चाहिए और एक प्रथा को दूसरे से नहीं निकाला जा सकता। यह एक सुस्थापित कानून है कि तर्क की समानता से प्रथा को विस्तारित नहीं किया जा सकता।

20. **भीमाशय बनाम श्रीमती जनाबी @ जनवा 4** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया है :

“12. “प्रथा की परिभाषा: प्रथा एक स्थापित प्रथा है जो सामान्य कानून से भिन्न है।”

प्रथा की प्रकृति सामान्य कानून से भिन्न कोई प्रथा सामान्य, स्थानीय, जनजातीय या पारिवारिक प्रथा हो सकती है।

स्पष्टीकरण 1.— सामान्य प्रथा के अंतर्गत व्यक्तियों के किसी बड़े वर्ग से संबंधित प्रथा भी आती है।

स्पष्टीकरण 2.— कोई प्रथा जो किसी इलाके, जनजाति, संप्रदाय या परिवार पर लागू होती है, विशेष प्रथा कहलाती है। प्रथा, व्यक्ति कानून का उल्लंघन नहीं कर सकती 1—(1) प्रथा का प्रभाव होता है।

सामान्य व्यक्तिगत कानून को संशोधित करता है, लेकिन यह कानूनी कानून को तब तक अधिरोहित नहीं करता है, जब तक कि वह स्पष्ट रूप से इसके द्वारा संरक्षित न हो।

(2) ऐसी प्रथा प्राचीन, एकरूप, निश्चित, शांतिपूर्ण, निरंतर और अनिवार्य होनी चाहिए।

अमान्य प्रथा कोई भी प्रथा वैध नहीं है यदि वह अवैध, अनैतिक, अनुचित या सार्वजनिक नीति के विरुद्ध हो।

प्रथा का अभिवचन और प्रमाण (1) जो व्यक्ति सामान्य विधि में परिवर्तन करने वाली प्रथा पर निर्भर करता है, उसे अभिवचन करना होगा और उसे सिद्ध करना होगा।

(2) प्रथा को स्पष्ट और असंदिग्ध साक्ष्य द्वारा स्थापित किया जाना चाहिए।”

(देखें सर एच. एस. गौर की हिन्दू कोड, खंड 1, पांचवां संस्करण)



20. जैसा कि आम तौर पर कहा जाता है, प्रथा प्राचीन, निश्चित और उचित होनी चाहिए। यह ध्यान देने योग्य है कि अधिनियम की धारा 3 के खंड (ए) में परिभाषा में, 'प्राचीन' शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि इसका अभिप्राय लंबे समय तक प्रथा या प्रयोग का पालन करना है। अंग्रेजी नियम कि किसी प्रथा को कानूनी और बाध्यकारी बनाने के लिए, उसका इतने लंबे समय तक प्रयोग किया जाना चाहिए कि मनुष्य की स्मृति में इसके विपरीत कुछ भी न आए', भारतीय परिस्थितियों में सख्ती से लागू नहीं हुआ है। यह साबित करने के लिए केवल इतना ही आवश्यक है कि प्रथा या प्रयोग इतने लंबे समय तक और इतनी अपरिवर्तनीयता और निरंतरता के साथ व्यवहार में लाया गया है कि यह दिखाया जा सके कि इसे किसी स्थानीय क्षेत्र, जनजाति, समुदाय, परिवार के समूह में स्थापित शासकीय नियम के रूप में आम सहमति से स्वीकार किया गया है। निश्चितता और तर्कसंगतता नियम के अपरिहार्य तत्व हैं। इस प्रश्न के निर्धारण के लिए कि कोई प्रथा वैध है या नहीं, इस बात पर जोर दिया गया है कि इसे सार्वजनिक नीति के विरुद्ध नहीं होना चाहिए।"

21. **रतनलाल उर्फ बाबूलाल चुन्नीलाल समुष्का बनाम सुंदरबाई गोवर्धनदास समुष्का** मामले में 5 सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने वैध प्रथा स्थापित करने के लिए आवश्यक तत्वों की व्याख्या की है तथा निम्नानुसार निर्णय दिया है:—

"13. अधिनियम की धारा 2 (ए) के तहत स्थापित कानून के अनुसार, एक वैध प्रथा को स्थापित करने के लिए निम्नलिखित तत्व आवश्यक हैं: क. निरंतरता, ख. निश्चितता, ग. लंबे समय तक उपयोग, घ. और तर्कसंगतता। चूंकि प्रथाएं, जब दलील दी जाती हैं तो ज्यादातर सामान्य कानून से भिन्न होती हैं, उन्हें सख्ती से साबित किया जाना चाहिए। आम तौर पर, एक अनुमान है कि कानून प्रबल होता है और जब प्रथा का दावा ऐसी सामान्य धारणा के खिलाफ होता है, तो, जो कोई भी किसी भी प्रथा के अस्तित्व की दलील देता है, उसे अदालत की संतुष्टि के लिए इसकी सभी आवश्यकताओं के साथ इसे साबित करने का



दायित्व सबसे स्पष्ट और अस्पष्ट तरीके से पूरा करना होगा। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि, कई प्रकार के रीति-रिवाज हैं सामान्य प्रथाएं, स्थानीय प्रथाएं और आदिवासी प्रथाएं

रीति-रिवाज आदि तथा किसी प्रकार के रीति-रिवाज को स्थापित करने के लिए प्रमाण का भार उपयोग के प्रकार तथा सीमा पर निर्भर करता है। यह दिखाया जाना चाहिए कि कथित रीति-रिवाज में वास्तविक रीति-रिवाज की विशेषताएं हैं, अर्थात् इसे कानून के बल के रूप में स्वेच्छा से स्वीकार किया जाता है, तथा यह कमोबेश सामान्य प्रथा नहीं है। प्रथागत कानून की स्थापना के लिए आवश्यक कार्य बहुत, एकरूप तथा स्थित होने चाहिए।

14. प्रथा आचरण से विकसित होती है, और इसलिए इसकी वैधता को केवल न्यायालयों द्वारा दी गई स्पष्ट स्वीकृति के तत्व से मापना एक गलती है। अधिकांश रीति-रिवाजों की विशेषता यह है कि वे मूल रूप से गैर-मुकदमेबाजी वाले होते हैं। वे किसी भी तरह के अधिकारों के टकराव से नहीं बल्कि समाज की सुविधा से प्रेरित प्रथाओं से उत्पन्न होते हैं। किसी प्रथा को मान्यता देने वाला न्यायिक निर्णय प्रासंगिक हो सकता है, लेकिन ये उसकी स्थापना के लिए अपरिहार्य नहीं हैं। जब किसी प्रथा को न्यायिक नोटिस द्वारा साबित किया जाना है, तो प्रासंगिक परीक्षण यह देखना होगा कि क्या उस प्रथा पर उसी क्षेत्राधिकार में उच्चतर या समन्वय क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा उस सीमा तक कार्रवाई की गई है, जो न्यायालय को उचित ठहराती है, जिसे इसे लागू करने के लिए कहा जाता है, यह मानते हुए कि उस क्षेत्र में संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग विचाराधीन परिस्थितियों के संबंध में इसे बाध्यकारी मानता है। इस मामले में कोई दलील या सबूत नहीं था जो यह उचित ठहरा सके कि उपरोक्त मानकों को पूरा किया गया था”

22. **मधु किश्वर बनाम बिहार राज्य** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 7, 8 और 76 की संवैधानिक वैधता पर विचार किया है। तर्क यह था कि आदिवासी महिलाओं को



भूमि या संपत्ति के उत्तराधिकार से बाहर रखने वाला प्रथागत कानून भेदभावपूर्ण है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के विरुद्ध है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहुमत के निर्णय द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 की कसौटी पर उक्त अधिनियम के प्रावधानों को रद्द करने से परहेज किया, हालांकि धारा 7 और 8 में कल्पित पुरुष उत्तराधिकार के अनन्य अधिकार को तब तक निलंबित अवस्था में रहने का निर्देश दिया गया जब तक कि अंतिम पुरुष धारक की महिला वंशज का आजीविका का अधिकार वैध और प्रचलन में रहता है। मधु किश्वर 6 (सुप्रा) में बहुमत के निर्णय में न्यायिक हस्तक्षेप से परहेज करने का कारण इस प्रकार स्पष्ट किया गया है:—

“48. अपने स्वयं के रीति-रिवाजों, परंपराओं और प्रथाओं को महत्व देने वाले संवेदनशील आदिवासी लोगों द्वारा लगाए गए इन विभाजनों और दृश्यमान अवरोधों के सामने, न्यायिक सक्रियता द्वारा, दूसरों पर लागू व्यक्तिगत कानूनों के सिद्धांतों को न्यायिक रूप से लागू करना, अभिजात्य दृष्टिकोण या समानता के सिद्धांत पर, एक कठिन और दिमाग को झकझोर देने वाला प्रयास है। भाई के. रामास्वामी, जे. ने यह विचार किया है कि भारतीय विधायिकाएँ (और सरकारें भी) इस दिशा में सक्रिय होने के लिए खुद को प्रेरित नहीं करेंगी क्योंकि

राजनीतिक कारणों से और इस स्थिति में, एक सक्रिय न्यायालय, जैसा कि वह स्पष्ट रूप से अराजनीतिक है, कार्यवाही कर सकता है और याचिकाकर्ताओं द्वारा लिखित प्रस्तुतियों में सुझाए गए तरीकों पर मोटे तौर पर कानून बना सकता है। हालांकि, परिणाम प्रशंसनीय, वांछनीय और आकर्षक लग सकता है, यह हमारे विद्वान भाई द्वारा खुशी से देखा गया है कि एक सक्रिय न्यायालय विधायी विषय के विवरण और पेचीदगियों से निपटने के लिए पूरी तरह से सुसज्जित नहीं है और सबसे अच्छा यह हो सकता है कि वह राज्य की राजनीति को समस्या पर सलाह दे और ध्यान केंद्रित करे और उसे अपनी नींद से जगाए,



उसे जगाने, आगे बढ़ने और लक्ष्य तक पहुँचने के लिए उकसाए, क्योंकि न्यायालय की चिंता चाहे

23. इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य 7 (सबरीमाला मंदिर मामले) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दिया है:-

“276 (99). रीति-रिवाज, प्रथाएँ और व्यक्तिगत कानून व्यक्तियों की नागरिक स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। वे गतिविधियाँ जो स्वाभाविक रूप से व्यक्तियों की नागरिक स्थिति से जुड़ी हैं, उन्हें संवैधानिक प्रतिरक्षा केवल इसलिए नहीं दी जा सकती क्योंकि उनमें कुछ ऐसी संबद्ध विशेषताएँ हो सकती हैं जो धार्मिक प्रकृति की हों। उन्हें संवैधानिक जाँच से मुक्त करना संविधान की प्रधानता को नकारना है।

हमारा संविधान सामाजिक परिवर्तन की दृष्टि को दर्शाता है। यह अतीत से एक विराम का प्रतीक है एक ऐसा समाज जो सामाजिक पूर्वाग्रहों, रूढ़ियों, अधीनता और भेदभाव पर आधारित एक गहरे विभाजित समाज की विशेषता रखता है जो व्यक्ति की गरिमा को नष्ट करता है। यह एक ऐसे दृष्टिकोण के भविष्य की बात करता है जो वास्तव में प्रकृति में मुक्तिदायक है। दक्षिण अफ्रीकी संविधान के परिवर्तनकारी दृष्टिकोण के संदर्भ में, यह देखा गया है कि ऐसा दृष्टिकोण:

“राज्य और समाज के पूर्ण पुनर्निर्माण की आवश्यकता है, जिसमें समतावादी आधार पर सत्ता और संसाधनों का पुनर्वितरण शामिल है। इस परिवर्तन परियोजना के भीतर समानता प्राप्त करने की चुनौती में जाति, लिंग, वर्ग और असमानता के अन्य आधारों पर वर्चस्व और भौतिक नुकसान के प्रणालीगत रूपों का उन्मूलन शामिल है। इसमें ऐसे अवसरों का विकास भी शामिल है जो लोगों को सकारात्मक सामाजिक



संबंधों के भीतर अपनी पूरी मानवीय क्षमता का एहसास करने की अनुमति देते हैं।”

24. हाल ही में, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने **बाबूलाल बापूराव कोडापे बनाम सौ. रेस्माबाई नारायणराव कौरती 8** के मामले में माना है कि यदि कोई महिला आदिवासी जो प्राकृतिक कानूनी उत्तराधिकारी है, अपने पिता या माता की संपत्ति में बराबर का हिस्सा चाहती है, तो न्यायालय के लिए यह मान लेना अनुचित होगा कि जनजाति को नियंत्रित करने वाला प्रथागत कानून महिलाओं को उत्तराधिकार से बाहर रखता है और फिर इस बात पर जोर देना कि महिला आदिवासी को प्रथा का तर्क देना चाहिए और साबित करना चाहिए कि वह इस तरह से बहिष्कृत नहीं है। प्रथागत कानून के तहत उत्तराधिकार से इस तरह के बहिष्कार का दावा करने वाले व्यक्ति का यह दायित्व होगा कि वह ऐसा तर्क दे और साबित करे। ऐसा दृष्टिकोण न्याय, समानता और अच्छे विवेक के सिद्धांतों के अनुरूप होगा। आगे यह माना गया कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 101 से 103 के प्रावधानों की कसौटी पर भी, वादी को यह तर्क देने और साबित करने की आवश्यकता नहीं है कि उन्हें उत्तराधिकार से बाहर नहीं रखा गया है। प्रथागत कानून महिलाओं को उत्तराधिकार से बाहर रखता है, यह दायित्व प्रतिवादियों का था। यह भी माना गया कि वादी पर यह दलील देने और साबित करने का कोई दायित्व नहीं है कि गोंड समुदाय पर लागू प्रथागत कानून के तहत महिलाओं को उत्तराधिकार से वंचित नहीं रखा गया है और इस बहिष्कार को साबित करने का दायित्व उन प्रतिवादियों का है जिन्होंने ऐसा बचाव प्रस्तुत किया है।
25. **मोहम्मद बाकर बनाम नैमुन निशा बीबी 9** के मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना है कि सामान्य कानून के उल्लंघन में किसी प्रथा को साबित करने का भार उस पक्ष पर अधिक होता है जो उसे स्थापित करता है, इसलिए अपीलकर्ताओं पर यह दायित्व है कि वे स्पष्ट और ठोस साक्ष्य के साथ यह साबित करें कि ऐसी कोई प्रथा थी जैसा कि उन्होंने तर्क दिया था।



26. वर्तमान मामले के तथ्यों पर वापस आते हुए, सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा उपर्युक्त निर्णयों (सुप्रा) में निर्धारित कानून के सिद्धांत के प्रकाश में, यह स्पष्ट है कि इस मामले में, वादी का मामला यह है कि वह रामसिंह की महिला आदिवासी और प्राकृतिक कानूनी उत्तराधिकारी है और उसने अपने पिता की संपत्ति का दावा किया है और प्रतिवादियों का मामला यह है कि गोंड समुदाय में, जिसके द्वारा वे शासन कर रहे हैं, बेटियों/महिलाओं को अपने पिता की संपत्ति विरासत में पाने का अधिकार नहीं है, ऐसे में, प्रतिवादियों को यह दलील देनी चाहिए और साबित करना चाहिए कि गोंड जाति में, बेटियों को अपने पिता की संपत्ति विरासत में पाने से बाहर रखा गया है या उन्हें अपने पिता की संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। साक्ष्य अधिनियम की धारा 101 से 103 के प्रावधानों की कसौटी पर भी, बेटियों को यह दलील देने और साबित करने की आवश्यकता नहीं थी कि उन्हें विरासत से बाहर नहीं रखा गया है जैसा कि मोहम्मद बाकर 9 (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट के उनके आधिपत्य द्वारा माना गया था, जिसे प्रतिवादी साबित करने में विफल रहे। एक बार वादी ने यह साबित कर दिया कि विवादित संपत्ति उसके पिता की है और वह प्राकृतिक उत्तराधिकारी (महिला) होने के नाते विवादित संपत्ति का उत्तराधिकारी बनने की हकदार है और प्रतिवादी यह दलील देने और अपने कबीले को नियंत्रित करने वाले प्रथागत कानून को स्थापित करने में विफल रहे, जिसमें महिला/बेटियों को उत्तराधिकार से वंचित करने के मामले में, मुकदमे में फैसला सुनाया जाना चाहिए था। निचली दोनों अदालतों ने यह मानते हुए मुकदमे को खारिज कर दिया है कि वादी ऐसी कोई प्रथा स्थापित करने में विफल रहा है जिसके अनुसार बेटियाँ अपने पिता की संपत्ति में उत्तराधिकार प्राप्त कर सकें, हालांकि ऐसी कोई धारणा नहीं हो सकती कि जनजाति को नियंत्रित करने वाला प्रथागत कानून महिलाओं को अपने पिता की संपत्ति में उत्तराधिकार से वंचित करता है और बेटी पर यह दलील देने और यह स्थापित करने का भार डालता है कि वह अपने पिता की संपत्ति में उत्तराधिकार से वंचित नहीं है।



27. इस न्यायालय की सुविचारित राय में, दोनों निचली अदालतों का यह मानना बिल्कुल अनुचित था कि वादी एक वैध प्रथा स्थापित करने में विफल रहा है जिसके अनुसार बेटियाँ अपने पिता की संपत्ति में उत्तराधिकार प्राप्त करेंगी, बल्कि प्रतिवादियों का यह तर्क था कि बेटियों अपने पिता की संपत्ति में उत्तराधिकार प्राप्त नहीं करती हैं, इस प्रकार, निचली दोनों अदालतों का निर्णय और डिक्री कानून के विपरीत होने के कारण अपास्त किए जाने योग्य है और वादी का मुकदमा मान्य माना जाएगा और माना जाएगा कि वादी यादपत्र के साथ संलग्न अनुसूची 'ए' में दर्शाई गई संपत्ति के शीर्षक की घोषणा करने का हकदार है और प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे इस निर्णय की प्रति प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर अपीलकर्ताध्वादी को मुकदमे की संपत्ति का खाली और शांतिपूर्ण कब्जा सौंप दें।

28. दूसरी अपील ऊपर बताई गई सीमा तक स्वीकार की जाती है। पक्षकार अपना खर्च स्वयं वहन करेंगे। यह न्यायालय श्री रवि भगत, अधिवक्ता द्वारा प्रदान की गई सहायता की सराहना करता है, जो न्याय मित्र के रूप में उपस्थित हुए।

29. तदनुसार एक डिक्री तैयार की जाए। वादपत्र की अनुसूची 'ए' को डिक्री का भाग बनाया जाए। द्वितीय अपील आंशिक रूप से स्वीकृत की जाती है।

Sd/-

संजय के. अग्रवाल

जज

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।